ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
56/20	88 RTA	रेवडला	छबडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
अनिता बाई	**बनाम**	विमला बाई 2020/00259

वकील :- हेमराज कुशवाह एडवो. **आदेश पत्रक** **वकील :-**

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
6/10/20	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट विरूद्व प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.10.2020 को पेश हो।	
14/10/20	कोरोना संक्रमण फैलने एवं पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आसंदर्भ पूर्ववत पत्रावली दिनांक 9.11.20 को पुनः पेश हो।	राजीनामा पेश अनीता बाई Identified by हि. विमला बाई
9/11/20	कोरोना संक्रमण ~~अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने~~ के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 8.12.20 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
8/12/20	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 13.01.21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
13/01/21	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 01.02.21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
01/02/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। राजीनामा पेश किया हुआ है। वास्ते तस्दीक करने हेतु पक्षकारान को पेश किया जावे। पत्रावली वास्ते तस्दीक राजीनामा दिनांक 2.2.21 को पेश हो।
02/02/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। पक्षकारान द्वारा राजीनामा तस्दीक नहीं। पत्रावली वास्ते राजीनामा तस्दीक दिनांक 24.02.21 को पेश हो।
06/5/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की। सहमति जाहिर की गई। वादीगण की पहचान श्री हेमराज कुशवाह एडवो. द्वारा एवं प्रतिवादीगणों की पहचान श्री राजेश लोधा एडवो. द्वारा की गई। पढ़, सुन, समझ राजीनामा तस्दीक किया जाता है। आदेश जारी हो। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 24/5/21 को पेश हो।
25/8/21	पत्रावली Covid-19 के कारण पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। राजीनामा तस्दीक ~~नहीं~~ हो चुका है। वास्ते राजीनामा आदेश ~~तस्दीक~~ पत्रावली दिनांक 13/9/21 को पेश हो।
13/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। वादी का दावा मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। निर्णय/आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अनीता बाई

नि. विमलाबाई

कुलदीप

ज्योति

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

निर्णय वइजलास श्रीमती मनीषा तिवारी आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 56/20

दायरा दिनांक 06.10.2020

निर्णय दिनांक 13/9/21

उनवान

1. अनिताबाई पत्नी सुरेश जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा तह. छबडा।

................वादनी

बनाम

1. विमलाबाई बेवा बल्लभ जाति मीना निवासी बावडीखेडा तह. छबडा।
2. कुलदीप पुत्र बल्लभ (नाबालिग)
3. ज्योति पुत्री बल्लभ (नाबालिग) जाति मीना निवासी बावडीखेडा तह. छबडा नाबालिगान की वली व सरपरस्त माता विमलाबाई बेवा बल्लभ।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां।

.... प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

अभिभाषक वादी– श्री हेमराज कुशवाह

प्रतिवादी– श्री राजेश लोधा

निर्णय दिनांक 13/9/021

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा विरूध्द अप्रार्थीगण के वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नं. 196/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 197/2 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं. 257/2 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा मौजा खेडला तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में वाके है जिसमे मुताबिक जमाबंदी संख्या 31 सम्वत् 2076 ता 79 से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/7 हिस्सा दर्ज जमाबंदी एवं कब्जे काश्त में चला आ रहा था। आराजी खसरा नं. 40/2 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 207 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा मौजा खेडला तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में वाके है जिसमें मुताबिक जमाबंदी संख्या 58 सम्वत् 2076 ता 79 से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 6/35 हिस्सा दर्ज जमाबंदी एवं कब्जे काश्त में चला आ रहा था। प्रतिवादी संख्या 2 कुलदीप व प्रतिवादी संख्या 3 ज्योति नाबालिग है जो अपनी माता प्रतिवादी संख्या 1 की संरक्षता में परवरिश पा रहे है। नाबालिगान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हित उनकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के हितो के विपरीत नहीं है

उपखण्ड अधिकारी
छबडा, जिला बारां (राज0)

इसलिए उक्त वाद में नाबालिगान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जरिये वली माता प्रतिवादी संख्या 1 के वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसकी अनुमति हेतु अलग से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आर्डर 32 सीपीसी प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादनी से निवेदन किया कि वादपत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/7 हिस्सा तथा मद नं. 2 में वर्णित आराजी में 6/35 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को अपने नाबालिग पुत्र पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की पढाई लिखाई परवरिश हेतु रूप्यों की आवश्यकता होने से मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजी को बेचान करना चाहती है वादनी चाहे तो मौके पर भूमि को देखकर भूमि खरीद सकती है तो वादनी ने प्रतिवादी संख्या 1 के प्रस्ताव पर भूमि को मौके पर देखकर खरीदना स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं ने व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से वादनी से प्रतिफल राशि 400000 रूप्ये जर्ये चैक से प्राप्त करके वादपत्र के मद नं. 1 व 2 में वर्णित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी के बेचान की रजिस्ट्री वादनी के पक्ष में कार्यालय उपपंजीयक छबडा के यहॉ दिनांक 29.07.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 172 में पृष्ठ संख्या 55 क्रम संख्या 202003335100496 पर पंजीबद्ध करवा दिया तथा बेचानशुदा आराजी पर कब्जा वादनी को संभला दिया। तब से वादनी विवादित आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है। वादपत्र के मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से की वादनी बोनाफाईड परचेजर है तथा विवादित आराजीयात को अपने खातेदारी में दर्ज करवाने की कानूनी अधिकारी है।

वादनी दिनांक 25.09.2020 को अपनी खरीदशुदा आराजी के विक्रयपत्र की फोटो कॉपी लेकर पटवारी हल्का के पास गई और विक्रयपत्र के आधार पर वादनी की खरीदशुदा आराजी वादनी के खातेदारी में दर्ज करने हेतु नामान्तरकरण खोलने का निवेदन किया तो पटवारी पटवार हल्का ने मना कर दिया तथा माननीय न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा इस पर वादनी श्रीमान तहसीलदार छबडा के पास गई तो उन्होने भी वादनी को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया इसलिए यह वाद माननीय न्यायालय में वास्ते घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 25.09.2020 को वादनी द्वारा पटवारी पटवार हल्का बारई तहसील छबडा व तहसीलदार छबडा से विक्रयपत्र के आधार पर वादनी के पक्ष में नामान्तकरण खोलने का निवेदन करने पर तथा उनके द्वारा मना करने पर उत्पन्न हुआ।

विवादित आराजीयात के भूमिधारी राज्य सरकार होने से उन्हे भी उक्त वाद में जरिये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारा राजस्थान को पक्षकार प्रतिवादी नं. 4 बनाया गया है वाद प्रस्तुति से पूर्व राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब छबडा को धारा 80 सीपीसी का नोटिस जरिये अधिवक्ता के दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत कर दिया है अभी नोटिस अवधि समाप्त नहीं हुई है वाद की अर्जेन्सी के मध्यनजर रखते हुये यह वाद नोटिस अवधि समाप्ति के पूर्व ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा वाद की प्रस्तुति में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 80 उपधारा 2 सीपीसी पृथक से पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

वादपत्र की में वर्णित खसरा नं. 196/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 197/2 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं. 257/2 रकबा 13 बिस्वा कुल 3 किता कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा मौजा खेडला तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में से तथा वादपत्र के मद नं. 2 में वर्णित आराजी खसरा नं. 40/2 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 207 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा मौजा खेडला तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 कि हिस्से की आराजी जो वादनी की खरीदशुदा है का वादनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम खातेदारी से हटाया जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो वादनी पाने की हकदार हो दिलवाने की कृपा करे।

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 3 की और से न्यायालय में उपस्थित होकर जरिये अभिभाषक राजीनामा निम्न प्रकार पेश किया गया। आराजी खसरा नं. 196/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 197/2 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं. 257/2 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा मौजा खेडला तहसील छबडा जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/7 एवं खसरा नं. 40/2 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 207 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा मौजा खेडला तहसील छबडा में से प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 का 6/35 प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 द्वारा वादनी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के समुचित प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय किया जा चुका है। इसलिए वादनी को प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 के खातेदारी व हिस्से की उक्त आराजियात पर वादनी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने में प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 को कोई आपत्ति नहीं है तथा न्याय हित में वादनी द्वारा क्रय की गई उक्त प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 के हिस्से की उक्त आराजियात वादनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है तथा यह राजीनामा दोनों पक्षों में लोक अदालत की भावना व आपसी समाझाईस से हुआ है। जिसमें दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति है। तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 नाबालिग है जिनकी और से यह राजीनामा उनकी संरक्षिका व माता प्रतिवादिया क्रमांक 1 विमलाबाई की और से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे तस्दीक किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादनी और प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 की और से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जावे। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर ग्राम बावडी खेडा तहसील छबडा के खाता संख्या 31 खसरा नं. 196/2 रकबा 0.14 बीघा खसरा नं. 197/2 रकबा 0.09 बीघा खसरा नं. 257/2 रकबा 0.13 बीघा कुल किता 3 रकबा 1.16 बीघा में हिस्सा 1/7, खाता संख्या 58 खसरा नं. 40/2 रकबा 1.09 बीघा, खसरा नं. 207 रकबा 2.15 बीघा कुल किता 2 रकबा 4.04 बीघा में हिस्सा 6/35 एवं ग्राम बमोरा के खाता संख्या 171 खसरा नं. 242 रकबा 14.03 बीघा मे हिस्सा 1/16 प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खाते दर्ज रिकार्ड होना पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा, जिला बारां (राज0)

उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पढकर पक्षकारान को सुनाया गया। किसी के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। पक्षकारान वादीगण की पहचान श्री हेमराज कुशवाह एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण की पहचान राजेश लोधा एडवोकेट के द्वारा की गई। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित होगा।

–कियात्मक आदेश–

मुताबिक राजीनामा वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम बावडी खेडा तहसील छबडा के खाता संख्या 31 की आराजी खसरा नं. 196/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 197/2 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं. 257/2 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा में से प्रतिवादी 1 ता 3 का हिस्सा 1/7 एवं खाता संख्या 58 के खसरा नं. 40/2 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 207 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा में प्रतिवादिया 1 ता 3 का हिस्सा 6/35 एवं ग्राम बमोरा के खाता संख्या 171 खसरा नं. 242 रकबा 14.03 बीघा में से प्रतिवादिया 1 ता 3 का हिस्सा 1/16 के स्थान पर वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादिया 1 ता 3 के स्थान पर वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

य उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला–बारां (राज.)

डिक्री

56/020	धारा अंतर्गत 88 RTA	निर्णय दिनांक 13/9/021

– द्वारा श्रीमति मनीषा तिवारी RAS उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला- बारां

थति :– अभिभाषक वादी श्री हेमराज कुशवाह | अभिभाषक प्रतिवादी श्री राजेश लोधा

वाद शीर्षक

1– अनीता बाई पत्नि सुरेश जाति मीना निवासी बावडी खेड़ा तह० छबड़ा

बनाम

1– विमलाबाई बेवा बल्लभ जाति मीना निवासी बावडीखेडा तह० छबड़ा
2 – कुलदीप पुत्र बल्लभ नाबालिग
3 – ज्योति पुत्री बल्लभ नाबालिग की बली सरपरस्त माता विमलाबाई मीना निवासी बावडी खेड़ा तह० छबड़ा जिला- बारां
4- राज. सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा जिला - बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरुप डिक्री निर्गत की जाती है कि– मुताबिक राजीनामा वादी का वाद स्वीकार किया जाता है ग्राम बावडी खेडा तह० छबड़ा के खाता सं० 31 की आराजी ख.न. 196/2 रकबा 0.14 बीघा ख.नं. 197/2 रकबा 0.09 बीघा ख.नं. 257/2 रकबा 0.13 बीघा कुल किता 3 रकबा 1.16 बीघा में से प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का हि० 1/7 ग्राम खेड़ला खाता सं. 58 ख.न. 40/2 रकबा 1.09 बीघा ख.न. 207 रकबा 2.15 बीघा कुल किता 2 रकबा 4.04 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा 6/35 एंव ग्राम बमोरा तह० छबड़ा के खाता सं० 171 ख.न. 242 रकबा 14.03 बीघा में से प्रतिवादिया 1 ता 3 का हि० 1/16 के स्थान पर वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादिया क्रम 1 ता 3 के स्थान पर वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

साथ ही निम्नानुसार.................रु. का व्ययानुतोष.................द्वारा.................को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 13/9/021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
	योग		